

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./50/2015

दर्ज दिनांक:-13.07.2015

1. रामभरोसी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. तोरनसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-24.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट घुस्यारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी बाबत इन्ही पक्षकारों के मध्य सिविल कोर्ट में वाद विचाराधीन है। दो समानान्तर कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती। इस प्रकार सुविधा का व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी T.I. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

